न्यायालयः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल।
जी0आर0 सं0–94/2026
अरवल थाना कांड सं0–06/2026

11.03.2026

वाद पुकारा गया। मामला साक्ष्य पर निर्धारित है। मामले में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की तरफ से सुबह 11:30 बजे एक आवेदन दिया कि वह अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। कम–से–कम सजा देने की कृपा की जाये।

मामले में न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को समझाया गया कि यदि वह दोष स्वीकार करता है तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा, जो उसके विरूद्ध होगा और उसे समय प्रदान किया गया।

तत्पश्चात शाम को 03:30 अपराह्न पर अभियुक्त कन्हैया कुमार पुनः उपस्थित हुआ और कहा कि वह दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः न्यायालय उसके संस्वीकृति आवेदन को स्वीकार करती है और उसे भारतीय न्याय संहिता की **धारा–303(2)/62 में 02माह 09 दिन की साधारण कारावास की सजा जो कि जेल में बितायी गयी अवधि है** तथा **धारा–303(2)/62 बी0एन0एस0 के अंतर्गत 30 कार्य दिवस व्यवहार न्यायालय, अरवल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश देती है।** कार्यालय मामले के एक प्रति नजारत, व्यवहार न्यायालय, अरवल तथा अरवल थाने को प्रेषित करें तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित,

ह0/–

(मनीष कुमार पाण्डेय)

(जे0 ओ0 कोड, बी. आर. 00961)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

मेमो नं0–.......... दिनांक–11.03.2026

प्रतिलिपिः– 1. नाजिर, व्यवहार न्यायालय अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

2. थानाध्यक्ष, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

अरवल।